is taken to make good the deficiencies noticed. No statistics of such checks is, however, maintained.

(d) It is the constant endeavour of the Railways to provide adequate amenities to the passengers. For this purpose, allocation of fund for passenger amenities is increased every year. Zonal Railways have also been directed to formulate perspective plans for provision of passenger amenities so that these could be provided/augmented in a phased manner.

Seed Growing contract with farmers of East Godavari District

1335. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether National Seeds Corporation has any operations in Andhra Pradesh;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether National Seeds Corporation has any seed-growing contract with farmers of East Godavari district in Andhra Pradesh in 1994-95 and 1995-96; and

(d) if so, whether the contract has been completed?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) Main operations of National Seeds Corporation (NSC) in Andhra Pradesh are to organise production of seeds through contract growers and distribution of certified seeds. Major crop seeds produced are Maize, Sorghum, Bajra, Paddy, Cowpea, Sunflower, Groundnut, Castor, Jute, Cotton and Vegetables. The Corporation procured about 55,246 quintals of seeds during 1994-95 and 47,064 quintals during 1995-96. The Corporation also distributed certified seeds of various crops to the farmers through NSC sale counters, dealers and Government Agencies to the tune of 5775 quintals and 5465 quintals during 1994-95 and 1995-96 respectively.

(c) Seven seed growers had taken contract seed production of tomato from National Seeds Corporation during 1994-95. No grower of East Godavari District had taken seed production during 1995-96.

(d) Seed crop at field stage was not conforming to minimum seed standard, hence, seed of tomato was not procured.

Review of agricultural policy

1336. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed and revised the agricultural policy;

(b) if so, what major changes and modifications in its main objectives have been or are proposed to be made under the revised policy; and

(c) what specific steps are contemplated thereunder for intensification of agriculture, ensuring its growth as an industry and free movement and processing of agricultural produce?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to (c) The draft Agriculture Policy Resolution which was discussed in Rajya Sabha on August 1—3, 1995 and in Lok Sabha on August 7—9, 1995 is under finalization keeping in view the suggestions made by the Members of Parliament and the concerned Ministries/Departments of the Government of India.

स्मारकों हेतु प्रवेश शुल्क

1337. श्री अजीत जोगी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक

राज्य में कितने स्मारकों को संरक्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ऐसे स्मारकों के लिए कोई प्रवेश-शुल्क लेती है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि एकत्र की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई): (क) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि केन्द्र द्वारा संरक्षित उन स्मारकों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है, जहां पिछले वर्ष संरक्षण कार्य किया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) कुछ चुनिंदा स्मारकों के लिए प्रवेश शुल्क लिया जाता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों से एकत्र की गई धनराशि नीचे लिखे अनुसार है:—

1993-94	49,82,570.50 रु०/-
1994-95	49,06,668.50 रु०/-
1995-96	52,52,639.50 रु०/-

विवरण

केन्द्र द्वारा संरक्षित उन स्मारकों की राज्यवार संख्या जहां पिछले वर्ष संरक्षण कार्य किया गया है।

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	19
2.	असम	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	बिहार	10
5.	दिल्ली	19
6.	दमन एवं द्वीव	5
7.	गोवा	14
8.	गुजरात	19
9.	हरियाणा	7
10.	हिमाचल प्रदेश	5
11.	जम्मू एवं कश्मीर	14
12.	कर्नाटक	27
13.	केरल	2
14.	मध्य प्रदेश	17
15.	महाराष्ट्र	6
16.	उड़ीसा	9
17.	पंजाब	2
18.	राजस्थान	11
19.	तमिलनाडु	18
20.	उत्तर प्रदेश	34
21.	पश्चिमी बंगाल	9
		251

आरक्षित वन की भूमि का अतिक्रमण और उसे बेचा जाना

1338. **श्री सोमपाल:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी सिक्किम में वन कानूनों का उल्लंघन करते हुए आरक्षित वन की खास भूमि का अतिक्रमण किये जाने और उसे बेचे जाने के बारे में एक जांच कराई गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बारे में कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने भी सरकार और क्षेत्रीय वन महानिरीक्षक से शिकायत की थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले और सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भुवनेश्वर द्वारा इस मामले की जांच की गई थी तथा उनसे प्राप्त रिपोर्ट को सिक्किम राज्य सरकार को टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है।

ठोस अपशिष्ट का उपयोग

1339. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से निकलने वाले ठोस